

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही की प्रगति रिपोर्ट

----- को समाप्त तिमाही

भाग-1 (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम:- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़

दूरभाष: 0172-2614931 agaeharyana@cag.gov.in

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात की स्थिति

(क) जारी कागजात की कुल संख्या:- .....

(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या: - .....

(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात:- .....

(घ) केवल हिंदी में जारी किए गए कागजात: - .....

(इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, संविदा, टेंडर, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं)

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या:- .....

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए: - .....

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए: - .....

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे: - .....

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितने के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितने के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

4. भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा:-

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

5. फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा \*

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या:- .....

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या:- .....

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या:- .....

वरि. लेखा अधिकारी

- हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए

प्रमाण-पत्र

अनुभाग का नाम : -----

वित्तीय वर्ष :

“मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्न .....को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग 1) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णता सत्य है । मैं यह अच्छी तरह समझता/समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा अधिनियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला प्रधान महालेखाकार/उप महालेखाकार के संज्ञान में लाया जाएगा ।”

(वरि. लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

वरि. लेखा अधिकारी का नाम .....

दूरभाष .....

तिथि :

नोट: उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के बिना आपके अनुभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी ।